प्रेषक

निदेशक,
खेल विभाग, हरियाणा,
ताऊ देवीलाल स्पोर्टस कॉम्पलैक्स, सैक्टर–3, पंचकूला।

प्रेषित

1. उपनिदेशक खेल,
अम्बाला, गुरूग्राम, हिसार, रोहतक मण्डल।
2. समस्त जिला खेल अधिकारी, हरियाणा।

क्रमांक खेल–नर्सरी–2024 / 6347–72 दिनांकः 28.02.2024

विषयः खेल विभाग द्वारा खेल नर्सरियों के संचालन बारे दिशा–निर्देश।

विभाग की खेल नर्सरी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रारंभिक रूप से खेलों को बढ़ावा देना तथा ग्रास रूट स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना है। राज्य के अनेकों प्रख्यात खिलाड़ी विभाग की इस योजना के कारण कम आयु में ही चिन्हित किए गए व आज राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल उपलब्धियां प्राप्त कर चुके है। विभाग द्वारा कुल 1500 खेल नर्सरी चलाई जानी प्रस्तावित है जिसमें से 500 खेल नर्सरियां विभागीय प्रशिक्षकों द्वारा विभाग के खेल परिसरों में चलाई जाएंगी। 1000 खेल नर्सरियां सरकारी / निजि शिक्षण संस्थानों, निजि खेल संस्थानों (निजि खेल अकादमियां, निजि खेल प्रशिक्षण केन्द्र आदि) तथा ग्राम पंचायतों को अलॉट की जानी हैं :–

A) विभागीय प्रशिक्षकों द्वारा चलाई जाने वाली खेल नर्सरियां।

1) विभागीय प्रशिक्षकों द्वारा विभाग के खेल परिसरों में 500 खेल नर्सरियां चलाने का निर्णय लिया गया है। **सभी विभागीय प्रशिक्षकों द्वारा खेल नर्सरी चलाई जानी अनिवार्य है।** यदि किसी भी विभागीय प्रशिक्षक के पास खिलाड़ियों की संख्या 20 से कम होती है तो यह संबंधित प्रशिक्षक का दायित्व बनता है कि वह अपने प्रशिक्षण केन्द्र पर खिलाड़ियों की संख्या पूर्ण करके खेल नर्सरी संचालित करना सुनिश्चित करें।

2) नर्सरियों के खिलाडियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण, खिलाडियों के प्रदर्शन व उन द्वारा प्राप्त खेल उपलब्धियों के आधार पर विभागीय प्रशिक्षकों की ग्रेडिंग की जाएगी व उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भी इस आधार पर अंकित की जायेगी।

3) विभागीय प्रशिक्षकों हेतु ग्रेडिंग के मानदण्ड निम्नानुसार रहेंगें :–

i	**Attendance of the Coach** (Max 10 Marks)	More than 90% working days	10 Marks
		More than 80% working days	8 Marks
		More than 70% working days	4 Marks
ii	**Average attendance of the trainees** (Max 10 Marks)	More than 90% working days	10 Marks
		More than 80% working days	8 Marks
		More than 70% working days	4 Marks
iii	**Sports achievement of the trainees***(Max 12 Marks)	International Medal	12 Marks
		International Participation	9 Marks
		National Medal	8 Marks
		National Participation	5 Marks
		State Medal	4 Marks
		State Participation	1 Marks
*नोट– किसी एक स्तर की प्रतियोगिता में एकाधिक खिलाड़ियों की खेल उपलब्धियां होने पर भी उस श्रेणी से अधिकतम अंक नहीं दिए जाएंगे। उदाहरणतः राज्य स्तर पर 10 खिलाड़ियों द्वारा पदक प्राप्त करने पर भी अधिकतम अंक 4 ही दिए जाएंगे।			

Grade A= 30 or more marks, **Grade B=** 25 to 29 marks,
Grade C= 21 to 24 marks, **Grade D =** 20 or less marks.

B) सरकारी / निजि शिक्षण संस्थानों एवं निजि खेल संस्थानों तथा ग्राम पंचायतों द्वारा चलाई जाने वाली खेल नर्सरियां।

1) सरकारी / निजि शिक्षण संस्थानों एवं निजि खेल संस्थानों तथा ग्राम पंचायतों में नर्सरियों के आबंटन हेतू प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर जिला–वार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगें। आवेदक संस्थाओं का जिला खेल अधिकारी द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जाएगा तत्पश्चात संबंधित संस्थानो में खेल नर्सरी प्रदान करने बारे संबंधित उपनिदेशक खेल, मण्डल से मंत्रणा / टिप्पणी ली जाएगी जिसके उपरांत वरियता के आधार पर निदेशालय द्वारा खेल नर्सरियों का आबंटन किया जाएगा। **खेल नर्सरियों का आबंटन शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में वर्ष में केवल एक बार ही किया जाएगा।**

2) आवदेक संस्था के पास खेल विशेष का आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर व खेल उपकरण व उसी खेल का योग्य प्रशिक्षक तथा खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा होना अनिवार्य है।

3) संस्थाओं के चयन का आधार उन द्वारा नर्सरियों के खिलाड़ियों को फीस आदि में दी जाने वाली प्रस्तावित रियायत, उपलब्ध करवाए जाने वाले खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर व खेल उपकरण तथा वहां के प्रशिक्षुओं की खेल उपलब्धियां होंगी। उस संस्थान द्वारा दी नर्सरी के खिलाडियों को दी जाने वाली रियायतों व सुविधाओं की सूचना इन संस्थानों की खेल नर्सरी में डिस्पले की जानी आवश्यंक होगी।

4) निजि संस्थानों को आबंटित नर्सरियों के खिलाडियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण, खिलाडियों के प्रदर्शन व उन द्वारा प्राप्त खेल उपलब्धि के आधार पर सत्र समाप्ति से पूर्व उसकी ग्रेडिंग जिला खेल अधिकारी द्वारा की जाएगी। संस्थानों हेतु ग्रेडिंग के मानदण्ड निम्नानुसार रहेंगें :–

i	**Infrastructure and equipment made available to trainees** (Max 10 Marks)	Level-I	10 Marks
		Level-II	8 Marks
		Level-III	6 Marks
		Level-IV	4 Marks
ii	**Average attendance of the trainees** (Max 10 Marks)	More than 90% working days	10 Marks
		More than 80% working days	8 Marks
		More than 70% working days	4 Marks
iii	**Sports achievement of the trainees** *(Max 12 Marks)	International Medal	12 Marks
		International Participation	9 Marks
		National Medal	8 Marks
		National Participation	5 Marks
		State Medal	4 Marks
		State Participation	1 Marks
*नोट– किसी एक स्तर की प्रतियोगिता में एकाधिक खिलाड़ियों की खेल उपलब्धियां होने पर भी उस श्रैणी से अधिकतम अंक नहीं दिए जाएंगे। उदाहरणतः राज्य स्तर पर 10 खिलाड़ियों द्वारा पदक प्राप्त करने पर भी अधिकतम अंक 4 ही दिए जाएंगे।			

Grade A= 29 or more marks, **Grade B=** 25 to 28 marks,
Grade C= 17 to 24 marks, **Grade D =** 16 or less marks.

6) चयनित खेल नर्सरी आबंटित संस्थानों द्वारा खेल नर्सरी में हिदायतानुसार एक योग्य प्रशिक्षक को ही अंगेज किया जाएगा। प्रशिक्षक का मासिक मानदेय (शैक्षणिक योग्तया अनुसार 20,000/–रूपये अथवा 25,000/–रूपये प्रति माह) की दर से दिया जाएगा। विभाग इन प्रशिक्षकों के प्रति किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

7) खेल नर्सरी में प्रशिक्षक की नियुक्ति निम्न योग्यता अनुसार मैरिट आधार पर करना सुनिश्चित करें :–

1.	Diploma holders from NIS Patiala or any institute recognized by the Ministry of Youth Affairs & Sports as equivalent to NIS Patiala in the concerned game. Or Senior International Medalist in the concerned game.	Rs. 25000/- per month
2.	NIS Certificate Course in the concerned game. or M.P.Ed./D.P.Ed./B.P.Ed. In this case the person must also be a Sr. National/ All india Inter University Player in the concerned game. or Junior International Medalist in the concerned game with minimum qualification 10+2.	Rs. 20000/- per month

7) खेल नर्सरी प्रशिक्षक की नियुक्ति संबंधित संस्थान द्वारा की जाएगी। चयनित प्रशिक्षक की योग्यता की जाँच संबंधित स्कूल द्वारा जिला खेल अधिकारी से करवाई जाएगी। जिला खेल अधिकारी की जिम्मेवारी केवल यह सुनिश्चित करने की होगी कि नियम व शर्तों में उल्लेखित योग्यता अनुसार ही स्कूल द्वारा केवल योग्य प्रशिक्षक नियुक्ति किया है।

8) खेल नर्सरी प्रशिक्षक के मानदेय का भुगतान संबंधित स्कूल/संस्थान द्वारा खेल नर्सरी प्रशिक्षक तथा खिलाड़ियों की हाजरी सत्यापित करने उपरांत विभाग द्वारा प्रशिक्षकों के बैंक खातों में किया जाएगा। यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इन प्रशिक्षकों को संबंधित संस्थाओं द्वारा ही अंगेज किया जाएगा व विभाग इनके प्रति किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

9) मास में एक से अधिक दिन छुट्टी लेने या अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षक के मानदेय में अनुपातिक आधार पर कटौती की जाएगी। एक माह में दस दिन से अधिक छुट्टी लेने या अनुपस्थित रहने पर उस माह का कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। प्रशिक्षक की छुट्टी की अवस्था में संस्थान का मुखिया यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान का शारीरिक शिक्षा का अध्यापक/प्रशिक्षक नर्सरी के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस में रखेगा।

C) **आवश्यक दिशा–निर्देश :–**

1) प्रत्येक नर्सरी का कार्यकाल 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक रहेगा।

2) खेल नर्सरियां केवल उन्हीं खेलों की खोली जाएंगी जो ओलम्पिक, एशियन तथा कॉमन वेल्थ गेम्स में सम्मिलित हैं।

3) खेल नर्सरी आबंटित संस्थान, जिला खेल अधिकारी की निगरानी में खेल नर्सरी में 8 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के चयन हेतु, खेल और शारीरिक योग्यता परीक्षा/खेल परीक्षा आयोजित करेगा।

4) प्रत्येक नर्सरी में न्यूनतम 20 तथा अधिकतम 25 खिलाड़ी होंगें, साथ ही प्रतीक्षा सूचि में 10 खिलाड़ी रखे जाएंगें। यदि कोई खिलाड़ी किसी कारणवश किसी भी समय खेल नर्सरी छोड़ता है तो परिणामी रिक्ति को वरिष्ठता क्रम के आधार पर प्रतिक्षा सूची से भरा जाएगा। यदि खेल नर्सरी में किसी भी समय खिलाड़ियों की संख्या 20 से कम हो जाती है तो नर्सरी को बंद कर दिया जाएगा।

5) एक संस्थान में दो से अधिक खेल नसरियां आबंटित नहीं की जाएंगी।

6) प्रत्येक खिलाड़ी के प्रतिमाह कम से कम 22 दिन हाजिर होने पर 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग हेतु 1,500/– रुपए तथा 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को 2,000/– रूपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति के रूप में खुराक राशि दी जाएगी।

7) प्रशिक्षक खेल नर्सरी के खिलाड़ियों को प्रातः व सायं शैड्यूल में निर्दिष्ट समय अनुसार प्रशिक्षण देगा। प्रातःकालीन सैशन कम से कम 2 घण्टे (05:30 से 09:00 बजे के बीच) तथा सायंकालीन सैशन कम से कम 3 घण्टे (03:00 से 08:00 बजे के बीच) का होगा।

8) इन खिलाड़ियों की हाजिरी तथा दी गई राशि का प्रयोगात्मक प्रमाण पत्र जिला खेल अधिकारी को देने की जिम्मेवारी संबंधित विभागीय प्रशिक्षक/संस्थान की होगी।

9) नर्सरी के खिलाड़ियों की छात्रवृति की राशि Direct Benefit Transfer के तहत सीधे बैंक खातों में मासिक आधार पर हाजिरी रजिस्टर की एक सत्यापित प्रति के साथ छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, आधार नं0, पैन न0, बैंक खाता नं0 तथा मोबाईल नं0 के बारे में जानकारी जमा करने पर डलवाई जाएगी।

10) स्कूल/संस्थान द्वारा नियमित रूप से खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की हाजरी लगाई जाएगी तथा प्रशिक्षक के अवकाश लेने पर इसकी सूचना संबंधित जिला खेल अधिकारी को दी जाएगी।

11) स्कूल/संस्थान द्वारा नर्सरी में चयनित खिलाड़ियों को स्पोर्टस किट प्रदान किए जाएंगे।

12) खेल नर्सरियों के प्रशिक्षण खिलाड़ियों के स्तर का जायजा लेने हेतु जिला/राज्य स्तर पर वर्ष मे कम से कम एक बार इन्टर–नर्सरी प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी।

13) प्रशिक्षक खेल नर्सरी के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए शैड्यूल निर्धारित करेगा जिसकी एक प्रति प्रशिक्षक हाजिरी रजिस्टर के साथ रखेगा ताकि निरीक्षण अधिकारी द्वारा उसी अनुसार निरीक्षण किया जा सके तथा शैड्यूल की एक प्रति प्रधानाचार्य/संस्थान के मुखिया के माध्यम से जिला खेल अधिकारी को भेजेगा।

14) अगर कोई प्रशिक्षक खेल नर्सरी छोड़ जाता है तो संस्थान के मुखिया द्वारा एक माह के अंदर दूसरे प्रशिक्षक का प्रबंध करना होगा। एक माह के पश्चात यदि नए प्रशिक्षक का प्रबंध संस्थान के मुखिया द्वारा नहीं किया जाता तो नर्सरी स्वतः रद्द समझी जाएगी।

15) प्रधानाचार्य/संस्थान के मुखिया द्वारा खेल नर्सरी के बच्चों एवं प्रशिक्षक की हाजिरी के लिए हाजिरी रजिस्टर मेनटेन किया जाएगा जिसमें सभी बच्चों व प्रशिक्षक का फोटोग्राफ लगाया जाएगा तथा फोटोग्राफ की एक प्रति जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम को भेजी जाएगी।

16) प्रधानाचार्य/संस्थान का मुखिया यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल के द्वारा जिस प्रशिक्षक का प्रबंध किया गया है केवल वही प्रशिक्षक खिलाड़ियों को सुबह व सायं निर्धारित समय में प्रशिक्षण देगा।

17) खेल नर्सरी के खिलाड़ियों को खुद को नशीले पदार्थो और असामाजिक गतिविधियों से दूर रखना होगा तथा खेल नर्सरी में सख्त अनुशासन बनाए रखना होगा।

18) खिलाडियों की हाजरी, उनके प्रशिक्षण व फीडबैक का सिस्टम विकसित करते हुए App-based किया जाएगा, जिससे Real-time जानकारी विभागीय अधिकारियों को प्राप्त होती रहेगी। खेल नर्सरी की PCM (Parents Coach Meeting) माह में एक बार होनी आवश्यक है।

19) सभी उपनिदेशक खेल मण्डल तथा संबंधित जिला खेल अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार प्रत्येक खेल नर्सरी का निरीक्षण अवश्य किया जाएगा तथा निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रर्फोमा में निदेशालय भेजी जाएगी। **यदि किसी भी सरकारी/निजि संस्थान द्वारा खेल नर्सरी दिशा–निर्देशों की उल्लंघना की जाती है तो संबंधित संस्थान की नर्सरी बंद करके कारण सहित सूचना निदेशालय भिजवाना सुनिश्चित करें।**

20) कोई भी संस्थान/नर्सरी प्रशिक्षक खेल नर्सरी के खिलाड़ी से फीस नहीं लेगा। यदि कोई संस्थान/नर्सरी प्रशिक्षक विभागीय जांच में खेल नर्सरी के खिलाड़ियों से फीस लेता पाया जाता है तो उसकी नर्सरी तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। खेल विभाग को खेल नर्सरी संचालन के दिशा–निर्देशों की उल्लंघना के मामले में छात्रवृति और प्रशिक्षकों का मानदेय वापिस लेने का अधिकार होगा तथा विभाग उसके विरूद्ध कोई भी Administrative/Civil/Criminal कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

21) संस्थान द्वारा खेल नर्सरी के दिशा–निर्देश/शर्तों की कोई भी उल्लघंना करने पर उसे कोई वितीय सुविधा नहीं दी जाएगी तथा नर्सरी को तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा। खेल नर्सरी को चलाने में शर्तों की उल्लंघना व किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संस्थान का मुखिया स्वयं जिम्मेदार होगा।

22) निदेशालय के अधिकारियों के औचक निरीक्षण करने पर खेल नर्सरियों में यदि कोई अनियमितता पाई गई तो उसके लिए जिला खेल अधिकारी व संबंधित डिलिंग हैण्ड जिम्मेवार होंगे तथा उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

23) खेल नर्सरी योजना का उद्धेश्य संस्थानों में खेलों के बुनियादी ढ़ाचे/सुविधाओं का उपयोग करके जमीनी स्तर पर खेलों को लोकप्रिय बनाना है। विभाग में बजट की उपलब्धता के आधार पर ही इसे लागू किया जाएगा। यह किसी भी स्कूल/संस्थान, नर्सरी प्रशिक्षक तथा खिलाड़ी पर किसी भी प्रकार के अधिकार की पुष्टि नहीं करता।

उपनिदेशक खेल,
कृते–निदेशक खेल विभाग,
हरियाणा, पंचकूला।